न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 138/2022(GCMS : 2022/202)

पंजाब नेशनल बैंक जरिये बनवारी लाल कुक्कड़, प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक, कार्यालय SASTRA केन्द्र, प्रथम तल, मण्डल कार्यालय, नजदीक मीरा चौक, श्रीगंगानगर (राज.)

बनाम

1. **श्री अजय कुमार** पुत्र श्री आत्मा राम सहारण, **1.** 3–बी–23, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर (राज.) **2.** वीपीओ–11 क्यू बख्ताना, तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. **श्री अरूण कुमार** पुत्र श्री आत्मा राम सहारण, **1.** 3–बी–23, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर (राज.) **2.** वीपीओ–11 क्यू बख्ताना, तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

23.08.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 16.08.2022 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण अजय कुमार एवं अरूण कुमार को ऋण सुविधा के रूप में राशि 40.00/– लाख रूपये (अखरे रूपये चालीस लाख मात्र) का ऋण दिनांक 14.10.2013 को स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थीगण अजय कुमार एवं अरूण कुमार द्वारा बंधक रखी अपनी अचल रिहायशी सम्पत्ति मकान नं. 3–बी–23 जवाहर नगर (क्षेत्रफल 252 वर्गमीटर), श्रीगंगानगर, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण अजय कुमार एवं अरूण कुमार को 40.00/–लाख रूपये (अखरे रूपये चालीस लाख मात्र)** के ऋण की स्वीकृति दिनांक 14.10.2013 को **प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थीगण अजय कुमार एवं अरूण कुमार ने अपनी अचल रिहायशी सम्पत्ति मकान नं. 3–बी–23 जवाहर नगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.09.18 15:26:01 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

(क्षेत्रफल 252 वर्गमीटर), श्रीगंगानगर, प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 31.03.2021 **को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा **13(2) के नोटिस दिनांक 01.06.2021** को जारी कर दिनांक 05.06.2021 को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये है। धारा 13(2) नोटिस अप्रार्थीगण को भिजवाने की पोस्ट ऑफिस रसीद एवं प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, **जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील हो चुकी है।**

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थीगण अजय कुमार एवं अरूण कुमार की **अचल रिहायशी सम्पत्ति मकान नं. 3—बी—23 जवाहर नगर (क्षेत्रफल 252 वर्गमीटर), श्रीगंगानगर,,** जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 01.06.2021 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 01.06.2021 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस जारी कर **अप्रार्थीगण दिनांक 05.06.2021 को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया गया है,** जिसके परिणामस्वरूप **अप्रार्थीगण के धारा 13(2)**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.09.18 15:26:01 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है। जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया** है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणियों अजय कुमार एवं अरूण कुमार के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थीगण ऋणियों **अजय कुमार एवं अरूण कुमार द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल रिहायशी सम्पत्ति मकान नं. 3—बी—23 जवाहर नगर (क्षेत्रफल 252 वर्गमीटर), श्रीगंगानगर, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 23.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.09.18 15:26:01 IST
Reason: SelfAttested

(अंशदीप)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर